न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्याः 05/2020

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

श्री जगदीश पुत्र छोगा जी, गवरी पत्नी छोगा जी, लीलाराम पुत्र छोगा जी, जाति– गुरु, निवासी– पाडीव, तहसील व जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः

1.पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से

2.अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवड़ा, अप्रार्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 15 अक्टूम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/1838 दिनांक 24.9.2020 के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम पाडीव के वर्तमान खाता संख्या 1020 खसरा संख्या 1833 रकबा 0.4900 हेक्टेयर (जिसके पुराने खसरा संख्या 2350 मी. रकबा 3.00 बीघा है) भूमि का आवंटन गैर खातेदारी के तौर पर श्री छोगा पुत्र गणेशा जी, जाति–गुरु, निवासी–पाडीव को हुआ था। यह कि खसरा गिरादावरी संवत 2042–2053 के अनुसार आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नही की गई है एवं न ही कब्जा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आवंटिती का संवत 2042 से 2053 तक उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि श्री छोगा पुत्र गणेशा जी, जाति–गुरु, निवासी– पाडीव को कृषि प्रयोजनार्थ, ग्राम पाडीव के पुराने खसरा संख्या 2350 मी रकबा 3.00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त भूमि के वर्तमान खाता संख्या 1020 खसरा संख्या 1833 रकबा 0.4900 हेक्टेयर किस्म बारानी–द्वितीय है। यह कि खसरा गिरदावरी संवत 2042 से 2053 तक के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती व अप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त नही रहा है। आवंटन के तीन वर्षो में काश्त नही की गई है। आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पाडीव, पटवार हल्का पाडीव के वर्तमान खाता संख्या 1020 खसरा संख्या 1833 रकबा 0.4900 हेक्टेयर भूमि के पुराने खसरा संख्या 2350 मी

....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

रकबा 3.00 बीघा है का आवंटन आवंटिती छोगा पुत्र गणेशा जी, जाति–गुरु, निवासी–पाडीव को नसबन्दी ऑपरेशन करवाने के एवज में वह भूमिहीन व्यक्ति होने से व आवंटन हेतु पात्र व्यक्ति होने से आज से करीब 40 वर्ष पूर्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हुआ था। तब से उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती छोगा पुत्र गणेशा जी का अपने जीवनकाल में कब्जा–काश्त रहा एवं इनकी मृत्यु से अप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण खेती करते आ रहे है। उक्त भूमि आवंटन होने के बाद अप्रार्थीगण ने काफी रुपये खर्च कर भूमि को कृषि योग्य उपजाउ बनाया है व पडौसी कुएं से पानी लेकर रायडा, अरण्डी आदि फसल बोई है व बरसात में तिल की फसल बोते आ रहे है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही ने पटवारी हल्का, पाडीव की गलत रिपोर्ट के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही ने प्रार्थना पत्र के साथ गिरदावरी की नकल जो पेश की है वह संवत 2042–2053 तक की पेश की है जो करीब 30–40 वर्ष पुरानी है उस समय बरसात कम होने से व पडौसीयों के कुआं नही होने से एवं अकाल वर्ष होने से खेती नही भी की होगी, लेकिन मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा आवंटिती छोगा पुत्र गणेशा जी के जरिये आवंटन के बाद से लगातार चला आ रहा है व आज तक अप्रार्थीगण मौके पर काबिज होकर अच्छी बरसात होने पर काश्त करते है। अप्रार्थीगण द्वारा संवत 2077 में तिल की फसल बोई थी। संवत 2078 में भी तिल की फसल बोई है। संवत 2079 में तिल व रायडा की फसल बोई है व संवत 2080 में रायडा की फसल बोई थी। जिससे प्रार्थी का यह कथन गलत है कि अप्रार्थीगण ने उक्त आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नही की हो। पटवारी हल्का, पाडीव ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध बदनियति पूर्वक तहसीलदार, सिरोही को गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जबकि अप्रार्थीगण अपने कब्जे–काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण ने उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु व राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज करवाने हेतु पटवारी हल्का को कई बार निवेदन किया, लेकिन पटवारी हल्का ने बदनियति पूर्वक खातेदारी दर्ज नही कर कर गलत रुप से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया है। यह कि उक्त भूमि का आवंटन आज से करीब 40 वर्ष पूर्व हुआ है एवं 12 वर्ष की अवधि के बाद स्वतः ही खातेदारी हक अधिकार प्राप्त हो जाते है, लेकिन प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही व पटवारी हल्का, पाडीव ने 12 वर्ष बाद अप्रार्थीगण को खातेदारी हक अधिकार प्रदान नही किये व आवंटन होने के 40 वर्ष बाद भू माफियाओं की सह पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मियाद बाहर होने से कानूनन चलने योग्य नही है। यह कि प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही ने प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि के आवंटन आदेश क्रमांक, दिनांक व आवंटन अधिकारी का नाम नही बताया है, जिसके अभाव में तहसीलदार, सिरोही का यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उक्त भूमि के आवंटन होने के 12 वर्ष बाद अप्रार्थीगण कानूनन उक्त भूमि के खातेदार काश्त बन चुके है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि उप जिला विकास अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी), सिरोही के आदेश क्रमांक/राज/अभियान/आवंटन/86/689–90 दिनांक 10.7.1986 के द्वारा श्री छोगा पुत्र गणेशा जी, जाति– गुरु, निवासी– पाडीव को ग्राम पाडीव, पटवार हल्का पाडीव, तहसील– सिरोही के पुराने खसरा संख्या 2350 मी रकबा 3.00 बीघा (जिसके वर्तमान खाता संख्या 1020 खसरा संख्या 1833 रकबा 0.4900 हेक्टेयर किस्म बारानी–1 है) का आवंटन किया गया था। जिस पर नामान्तरकरण संख्या 1607 दिनांक 19.6.1987 से उक्त आवंटित भूमि आवंटिती श्री छोगा पुत्र गणेश[illegible] पाडीव के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। आवंटि[illegible]गा पुत्र गणेशा जी, जाति– गुरु,

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सत्यमेव जयते
सिरोही

निवासी— पाडीव के मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 2502 दिनांक 13.12.1995 से उक्त आवंटित भूमि अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। पत्रावली पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2070—2073 में उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज है। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का यह कथन है कि खसरा गिरदावरी संवत 2042 से 2053 तक के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर काश्त नही की गई है व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा संवत 2042 से 2053 तक कब्जा—काश्त नही रहा है।

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है। चूंकि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का संवत 2042—2053 तक कब्जा काश्त नही रहा है। न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी, पाडीव की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 09.9.2020 के अनुसार मौके पर कोई फसल काश्त नही की हुई है तथा आवंटन के तीन वर्षो में कोई काश्त नही की हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2074—2077 की सत्य प्रतिलिपि के अनुसार संवत 2074, 2075 व 2076 में उक्त आवंटित भूमि पर तिल के फसल की काश्त की जाना अंकित है, किन्तु संवत 2042 से 2053 तक उक्त आवंटित भूमि पर काश्त नही की गई है। अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन के प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में काश्त की गई हो। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थीगण का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा—काश्त हो। जबकि खसरा गिरदावरी संवत 2042 से 2053 तक के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा—काश्त नही रहा है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्त का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी, अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर श्री छोगा पुत्र गणेशा जी, जाति—गुरु, निवासी—पाडीव को ग्राम पाडीव, पटवार हल्का पाडीव के पुराने खसरा संख्या 2350 मी. रकबा 3.00 बीघा (जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1833 रकबा 0.4900 हेक्टेयर किस्म बारानी—1 है) भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15 अक्टूम्बर, 2024 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:08:25 IST
Reason: SelfAttested